अध्याय – 2

रेल सेवकों को साधारणतया लागू होने वाले नियम

2.01 नियमों की प्रति देना :– रेल प्रशासन

(क) (i) प्रत्येक स्टेशन को,

(ii) प्रत्येक इंजन शेड को, तथा

(iii) ऐसे अन्य कार्यालयों को, जो वह निर्धारित करे, नियमों की एक प्रति देगा।

(ख) प्रत्येक रेल सेवकों को, जिसे उक्त नियमों द्वारा कोई निश्चित जिम्मेदारी सौंपी गई है, इन नियमों या नियमों के, उसके कार्य से सम्बन्धित भाग की एक प्रति देगा, तथा

(ग) किसी भी रेल सेवक को उक्त नियमों या उसके कार्य से सम्बन्धित उन भागों का अनुवाद देगा, जो विशेष अनुदेशों द्वारा निर्धारित किए गये हैं।

स. नि. 2.01– सम्बन्धित कर्मचारियों को चाहे वह स्थायी या अस्थायी हों, को स्थावर सिगनलों को प्रचालित करने तथा हाथ सिगनल और पटाखा के प्रयोग के नियमों की व्याख्या करने के लिए अपने स्टेशन पर स्टेशन मास्टर जिम्मेवार होगा।

2.02 नियमों की प्रति की देखभाल :– प्रत्येक रेल सेवक, जिसे नियमों की प्रति दी गई है :–

(क) ड्यूटी के समय उसे अपने पास सहज रूप से उपलब्ध रखेगा

(ख) उसमें सभी शुद्धिपत्र समाविष्ट करता रहेगा,

(ग) अपने किसी भी वरिष्ठ अधिकारी की मांग पर उसे प्रस्तुत करेगा,

(घ) प्रति खो जाने या खराब हो जाने पर अपने वरिष्ठ अधिकारी से एक नई प्रति प्राप्त करेगा, तथा

(ड़) यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अधीन कर्मचारियों को सभी शुद्धिपत्र मिल गये है और वे भी इस नियम के उपबन्धों का पालन कर रहे हैं।

2.03 नियमों की जानकारी :– प्रत्येक रेल सेवक –

(क) अपनी ड्यूटी से सम्बन्धित नियमों से परिचित रहेगा, चाहे उसे नियमों की प्रति या उसकी ड्यूटी से सम्बन्धित नियमों का अनुवाद दिया गया है अथवा नहीं, तथा रेल प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि वह ऐसा कर रहा है।

(ख) यदि कोई परीक्षाएं निर्धारित की गई है तो वह उन्हें पास करेगा।

(ग) स्वयं को आश्वस्त करेगा कि उसके अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों ने खण्ड़ (क) और (ख) का अनुपालन किया है, और

(घ) यदि आवश्यक है तो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों को वे नियम समझायेगा जो उन्हें लागू होते हैं

स. नि. 2.03 (i) अन्य रेलवे के गाड़ी परिचालन कर्मचारी जिन्हें इस रेलवे पर कार्य करना आवश्यक है, उनके इस रेलवे के सहायक नियम एवं स्थानीय अनुदेशों के ज्ञान की जांच यातायात निरीक्षक द्वारा अवश्य की जाएगी। उक्त कर्मचारी से इस आशय का लिखित घोषणा लिया जाना चाहिए कि वे इस रेलवे के नियमों से अवगत हैं।

(ii) गाड़ी परिचालन से सम्बन्धित रेल कर्मचारी जिन्हें अपने कर्त्तव्य (ड्यूटी) के उपयुक्त निष्पादन हेतु चश्मा निर्धारित है, ड्यूटी के समय अपने साथ चश्में की एक जोड़ी अवश्य रखेंगे। जब वे वस्तुतः कार्यरत हों, तो उन्हें अवश्य पहनेंगे। रनिंग कर्मचारी जब ड्यूटी पर हों, तो अपने पास चश्में की दो जोड़ी अवश्य रखेंगे।

(iii) गाड़ी परिचालन से सम्बन्धित सभी रेल कर्मचारी दृष्टि जांच हेतु निर्धारित किए गए आवधिक चिकित्सा जांच में अवश्य शामिल होंगे।

2.04 नियम पालन करने में सहयोग :– प्रत्येक रेल सेवक इन नियमों के पालन में सहयोग देगा और यदि उसे इन नियमों के किसी भंग का पता चलता है तो वह तुरन्त इसकी रिपोर्ट अपने वरिष्ठ अधिकारी तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारी को करेगा।

2.05 अतिचार, नुकसान या हानि की रोकथाम :–

(1) प्रत्येक रेल सेवक, रेल प्रशासन की ऐसी सभी सम्पत्ति की सुरक्षा और रक्षा के लिए जिम्मेदार है जो उसके भारसाधन (चार्ज) में है,

(2) प्रत्येक रेल सेवक निम्नलिखित बातों को रोकने का पूरा प्रयत्न करेगा, अर्थात :–

(क) रेल परिसरों में अतिचार(ट्रेस पासिंग)

(ख) रेल सम्पत्ति की चोरी, नुकसान या हानि,

(ग) स्वयं या अन्य लोगों को क्षति, और

(घ) रेल परिसरों में आग लगना।

2.06 नियमों और आदेशों का पालन :– प्रत्येक रेल सेवक निम्नलिखित का तत्परता से पालन करेगा अर्थात :–

(क) सभी नियमों और विशेष अनुदेशों का, तथा

(ख) अपने वरिष्ठ अधिकारियों के सभी विधि–संगत आदेशों का ।

2.07 ड्यूटी पर उपस्थिति :– प्रत्येक रेल सेवक ऐसे समय और स्थान पर तथा उतनी अवधि के लिए ड्यूटी पर उपस्थित रहेगा, जो इस बारे में रेल प्रशासन निश्चित करे और यदि किसी अन्य समय और स्थान पर उसकी सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है तो वहां भी उपस्थित होगा।

2.08 ड्यूटी से अनुपस्थिति :–

(1) कोई रेल सेवक अपने वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति के बिना ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं होगा, अपनी उपस्थिति के लिए नियत घंटों में परिवर्तन नहीं करेगा या किसी अन्य रेल सेवक से अपनी ड्यूटी नहीं बदलेगा या जब तक उसे समुचित रूप से मुक्त नहीं कर दिया जाता तब तक वह अपनी ड्यूटी का भारसाधन (चार्ज) नहीं छोड़ेगा।

(2) यदि ड्यूटी करता हुआ कोई रेल सेवक बीमारी के आधार पर ड्यूटी से अनुपस्थित होना चाहता है तो वह तुरन्त इसकी रिर्पोट अपने वरिष्ठ अधिकारी को करेगा और तब तक अपनी ड्यूटी से नहीं हटेगा जब तक कि उस काम पर किसी सक्षम रेल सेवक को नहीं लगा दिया जाता।

स. नि. 2.08 (1) स्टेशन मास्टर, केबिन सहायक स्टेशन मास्टर अथवा स्वीच मैन द्वारा कार्य अवधि के दौरान ब्लॉक कार्यालय या केबिन से हटना :–

(क) संरक्षा नियमों के पालन को सुनिश्चित करने हेतु यदि स्टेशन मास्टर या केबिन सहायक स्टेशन मास्टर या स्वीच मैन द्वारा कुछ मिनटों के लिए अपने ब्लॉक कार्यालय या केबिन से किसी अपरिहार्य कारण से हटना हो तो अनियंत्रित खंड पर ब्लॉक टेलिफोन से दोनों तरफ के स्टेशन को इस तथ्य की सूचना देनी चाहिए। नियंत्रित खंड पर पहले नियंत्रक की अनुमति अवश्य प्राप्त की जाएगी। ऐसे स्टेशन जहां लॉक–अप लीवर का प्रावधान है, वह लॉक–अप लीवर के द्वारा लीवरों को जिस स्थिति में लॉक किया जाना चाहिए, अवश्क ही लॉक करेगा तथा लीवर की चाबी अपने अभिरक्षण में रखेगा। ऐसे स्टेशन जहां केन्द्रीय पैनल/छोर (एण्ड) पैनल का प्रावधान है वहां कार्यरत स्टेशन मास्टर / स्वीच मैन पैनल को ताला बंद करेगा एवं पैनल की चाबी अपने अभिरक्षण में रखेगा। कार्यरत स्टेशन मास्टर ब्लॉक यंत्र, स्लाइड उपकरण को भी लॉक करेगा और चाबी रखेगा एवं प्राइवेट नम्बर पुस्तिका को भी अपने व्यक्तिगत अभिरक्षण में रखेगा जब कभी उसे अपने केबिन/कार्यालय को छोड़ना हो।

(ख) यदि दोनों तरफ के स्टेशन मास्टर या नियंत्रक, जिनके जानकारी में है कि ट्रेन के लिए लाइन क्लियर की आवश्यकता होगी, उनके द्वारा गाड़ी के संभावित आगमन के बारे में स्टेशन मास्टर को सूचित किया जाना चाहिए जो अस्थाई तौर पर अपना कार्यालय छोड़ना चाह रहा है।

(ग) एक जिम्मेदार रेल सेवक को स्टेशन मास्टर को आवश्यकता पड़ने पर बुलाने हेतु ब्लॉक कार्यालय या केबिन मे अवश्य ही छोड़ा जाना चाहिए। वह रेल सेवक ब्लॉक यंत्र या स्लाइड

उपकरण को प्रचालित नहीं करेगा और न ही अनाधिकृत व्यक्ति को इन्हें प्रचालित करने की अनुमति देगा।

2.09 मदिरा तथा अन्य नशीली, पीनक, बेहोशी, नींद लाने वाली या उत्तेजक दवाओं या उनसे बनी अन्य वस्तुओं का सेवन :–

(1) ड्यटी पर तैनात कोई भी रेल सेवक चाहे वह गाड़ी के संचालन से सीधा सम्बन्धित है या नहीं, नशें की अवस्था मे या किसी ऐसी दशा में नहीं होगा जो कि किसी प्रकार की मदिरा तथा अन्य नशीली, पीनक, बेहोशी, नींद लाने वाली या उत्तेजक दवाओं या उनसे बनी अन्य वस्तुओं के सेवन से ड्यटी देने की उसकी क्षमता क्षीण हो जाती है,

(2) गाड़ी के संचालन से सीधा सम्बद्ध कोई भी रेल सेवक, अपनी ड्यटी आरम्भ करने से आठ घंटे के भीतर कोई मदिरा तथा अन्य नशीली, पीनक, बेहोशी, नींद लाने वाली उत्तेजक दवाओं या उनसे बनी अन्य वस्तुएं नहीं लेगा या उनका प्रयोग नहीं करेगा या ड्यटी पर ऐसे किसी पेय औषधि या उनसे बनी वस्तु का सेवन नहीं करेगा।

स. नि. 2.09 (1) पर्यवेक्षी कर्मचारी को सुनिश्चित करना चाहिए कि कर्मचारी जब कार्य (ड्यूटी) पर आवें अथवा जब (ड्यूटी) पर हों तो वे किसी मदिरा तथा अन्य नशीली, पीनक, बेहोशी, नींद लाने वाली या उत्तेजक दवाओं या उनसे बनी अन्य वस्तुओं के प्रभाव में नहीं है। जब संदिग्ध है कि कोई रेल कर्मचारी उसके प्रभाव में है तो प्रभारी कर्मचारी उसके एवजी की अविलम्ब व्यवस्था करेगा एवं शीघ्रातिशीघ्र डॉक्टर से परीक्षण करवाएगा। यदि सम्भव हो तो दो स्वतंत्र गवाह से लिखित साक्ष्य भी प्राप्त कर लेना चाहिए।

2.10 रेल सेवकों का आचरण :– प्रत्येक रेल सेवक :–

(क) ड्यूटी के समय बिल्ला या वर्दी, यदि निर्धारित की गई है, पहनेगा और देखने मे साफ–सुथरा रहेगा,

(ख) चुस्त, सभ्य और शिष्ट रहेगा,

(ग) अवैध पारितोषिक न तो मांगेगा और न स्वीकार करेगा,

(घ) जनता को हर प्रकार की उचित सहायता देगा और सही जानकारी देने में पूरी सावधानी बरतेगा, तथा

(ड़) पूछे जाने पर बेहिचक अपना नाम और पदनाम बताएगा।

2.11 संरक्षा सुदृढ़ करने का कर्त्तव्य :–

(1) प्रत्येक रेल सेवक :–

(क) जनता की संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरा प्रयत्न करेगा,

(ख) ऐसी हर घटना की, जिसका उसे पता लगे और जिससे रेल के सुरक्षित या उचित कार्य चालन पर असर पड़ता है, रिर्पोट तुरन्त अपने वरिष्ठ अधिकारी को देगा, और

(ग) दुर्घटना अथवा अवरोध उत्पन्न होने पर तथा मांग की जाने पर सभी संभव सहायता देगा।

(2) यदि कोई रेल सेवक यह देखता है कि :–

(क) कोई सिगनल खराब है,

(ख) रेल पथ अथवा निर्माण के किसी भाग में कोई अवरोध या खराबी है या उसकी संभावना है,

(ग) गाड़ी में कोई खराबी है, अथवा

(घ) कोई ऐसी असाधारण परिस्थितियां है जिनके कारण गाड़ियों के निरापद परिचालन में अथवा जनता की संरक्षा में, कोई बाधा पड़ने की संभावना है

तो वह दुर्घटना रोकने के लिए उस परिस्थिति में तत्काल आवश्यक सभी कार्रवाई करेगा और यदि आवश्यक है तो यथासंभव शीध्र , साधनों द्वारा सबसे समीप के स्टेशन मास्टर को उसकी सूचना देगा।

परन्तु यदि गाड़ी विभाजित हो गई हो तो वह रोक (स्टाप) हैंड सिगनल नहीं दिखायेगा बल्कि चिल्लाकर, संकेत करके या दूसरे तरीकों से ड्राइवर या गार्ड का ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्न करेगा।

स. नि. 2.11 *(1) तूफान और तेज हवा के दौरान गाड़ी संचालन के लिये किये जाने वाले पूर्वोपाय :–*

(i) जब मौसम विज्ञान विभाग से चक्रवात, तूफान अथवा तेज हवा की पूर्व सूचना देते हुए चेतावनी संदेश प्राप्त हुआ हो और / अथवा यह यथोचित आशंका हो कि तेज तूफान आने वाला है जिससे यात्रियों, गाड़ी आदि की संरक्षा को खतरा है, स्टेशन मास्टर जब तक तूफान शांत न हो जाये और वह गाड़ियों के संचलन को निरापद न समझे, गाड़ी के गार्ड और ड्राइवर से परामर्श करके गाड़ी रोक देगा और उसके स्टेशन पर आने वाली किसी गाड़ी को लाइन क्लीयर देने से भी इंकार कर देगा।

(ii) यदि कोई गाड़ी चलते हुए किसी चक्रवात, तूफान या तेज हवा में फंस जाये और जिससे ड्राइवर की राय में गाड़ी की संरक्षा को खतरा हो सकता है, वह तत्काल अपनी गाड़ी की गति को नियंत्रित करेगा और जहां तक संभव हो यह ध्यान में रखते हुए कि तीव्र मोड़ों, ऊंचे तटबंधों और पुलों (उनके पहुंच मार्गो सहित) पर गाड़ी न रोकी जाय, प्रथम सुविधाजनक स्थान पर उसे रोक देगा। गाड़ी की गति को नियंत्रित कर रोकते

समय ड्राइवर सावधानी पूर्वक बिना झटका के गाड़ी को रोकेगा। वह गाड़ी को गार्ड के परामर्श से दोबारा तभी चलायेगा, जब चक्रवात, तूफान अथवा तेज हवा कम हो गयी हो और आगे बढ़ना निरापद समझा जाय।

(iii) गाड़ी के गार्ड और ड्राइवर गाड़ी में यात्रा करने वाले रेल कार्मचारियों के सहयोग से यह देखने का प्रयत्न करेगें कि यात्रियों द्वारा सवारी डिब्बों के दरवाजे और खिड़कियॉ खुले रखे गये है, जिससे हवा सवारी के डिब्बों के आर–पार बेरोक टोक बह सके।

(2)पवनमापी – असुरक्षित स्थानों और विशेष रूप में चुने गये पुलों जहां पुलों के निकटवर्ती स्टेशनों में से एक पर पवनमापी प्रतिष्ठापित किये गये हों, के मामले में, यदि पवनमापी विशेष अनुदेशों द्वारा निर्धारित हवा के वेग को खतरे के स्तर से अधिक इंगित करता है तो स्टेशन मास्टर निम्नलिखित कार्रवाई करेगा :–

(i) स्टेशन मास्टर सेक्शन नियंत्रक और दूसरी तरफ के स्टेशन मास्टर को गाड़ियों के संचालन को नियंत्रित करने की आवश्यकता के विषय में तत्काल सूचना देगा।

(ii) स्टेशन मास्टर अपने स्टेशन से गाड़ी शुरू करने अथवा वहां से होकर जाने वाली गाड़ियों के संचालन की अनुमति नहीं देगा तथा उसके स्टेशन पर आने के लिए निकटवर्ती स्टेशन पर प्रतीक्षारत गाड़ियों को भी लाइन क्लीयर नहीं देगा।

(iii) वह विशेष अनुदेशों द्वारा यथा निर्धारित, हवा का वेग फिर से खतरे की सीमा से कम हो जाने के पश्चात सेक्शन नियंत्रक और निकटवर्ती स्टेशन के स्टेशन मास्टर के परामर्श से गाड़ियों के सामान्य संचालन को पुनः शुरू करेगा।

टिप्पणीः– उपरोक्त वर्णित सावधानियों के अतिरिक्त स.नि. 4.35(1) का भी अनुपालन किया जाएगा।

(3) (i) जब ड्राइवर द्वारा कोई विशेष सतर्कता अथवा गति नियंत्रण पालन करने की आवश्यकता हो तो रेल–पथ निरीक्षक/स्टेशन मास्टर या अन्य अधिकृत रेल कर्मचारी संबंधित ब्लॉक सेक्शन के दोनों ओर स्थित बगल के स्टेशन के स्टेशन मास्टरों के अलावा अप और डाउन गाड़ियों के अंतिम रूकनेवाले स्टेशनों , दोनों ओर के इंजन बदले जानेवाले शेड के लोको फोरमैन को इस सम्बन्ध में सूचना देगा।

(ii) गाड़ी के विभाजन की स्थिति में ड्राइवर और गार्ड का ध्यान चिल्लाकर अथवा दिन में हरी झन्डी तथा रात्रि में सफेद बत्ती यथासंभव ऊपर नीचे हिलाकर अवश्य आकर्षित करना चाहिए।

(4) (i) दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी से यात्रा कर रहे प्रत्येक रेलकर्मी को चाहे ड्यूटी पर हों या अन्य रूप में हों, बिना किसी बिलम्ब के राहत एवं बचाव कार्य में अपनी सेवा प्रदान करने हेतु गार्ड के समझ प्रस्तुत होना चाहिए।

(ii) *दुर्घटना स्थल पर सभी कर्मचारियों को आर्म बैंड धारण करना चाहिए। आर्म बैंड की चौड़ाई 9 इंच तथा रंग नारंगी होगा जिसपर प्रतीक के रूप में ''दुर्घटना सहायता'' हिन्दी अथवा अंग्रेजी में अंकित होगा। यात्री वहन करने वाली गाड़ी के प्रत्येक गार्ड के पास दस आर्म बैंड उपलब्ध होने चाहिए। मेडिकल भान एवं ब्रेक डाउन गाड़ी में भी पर्याप्त मात्रा में आर्म बैंड दिया जाना चाहिए। डॉक्टर एवं पारा मेडिकल कर्मचारी दल के आर्म बैंड पर 'रेडक्रॉस' का निशान होना चाहिए।*